वित्तीय स्वीकृति

संख्या-28/748/52-3-14-बजट(10)/2014

प्रेषक

देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में

□□□□□
अल्पसंख्यक कल्याण : 0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा -3, □□□□: दिनांक मई, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में अल्पसंख्यक समुदाय के पूर्वदश कक्षाओं में अध्ययनरत छा /छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेत् वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (आयोजनेत्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि वित्त (□□-व्ययक) □□0-1 के कार्यालय ज्ञाप : 0-□□-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14-3-2014 के प्रस्त -2(1) □ 2(8) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय व 2014-15 के आय व्यय अल्पसंख्यक समुदाय के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत छ /छात्राओं □□ छात्रवृत्ति के वितरण हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधान हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 1,50,12,00,000/- के सापेक्ष 04 माह के लेखानुदान के रूप में पारित धनराशि रू0 50,04,00,000/- (रू0 □□□□ □□□□ □□□ □□□ मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने□□□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के साथ व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह फरवरी, 2015 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- जिन विद्यालयों/मदरसों के विरूद्ध छात्रवृत्ति के भुग अनियमितताओं की शिकायत हो उनमे छात्रवृत्ति की धनराशि की अनियमितताओं की प्रबल संभावन को दृष्टिगत रखते हुये उ विद्यालयों/मदरसों के छ /छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगत छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या का पूर्ण सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये संबंधि □□□कारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

4- धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं □□□ □□ जिन मामलों में 0प्र0 बजट मैनुअल और वित्त नियमसंग्रहों तथा स्थायी आदेशों केअन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, □□ मामलों में व्य □ □□□□□□पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली □□□□

5- छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया □□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2014-15 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक छा /छात्राओं की छात्रवृत्ति का ही भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त व्यय वित्तीय व 2014-15 □□ □□□□□ □□□ □□□□□□ विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिए आवश्यक धन व्यवस्था वर्ष 2014-15 □□ □□ □□ व्ययक एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व 2014-15 □□ □□ व्ययक के अनुदान संख -48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-□□□□□ जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्र -03- अल्पसंख्यकों का क -0301-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्र -21- छात्रवृत्तिया और छात्र वेतन के नामें डाला जायेगा।

4- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-□□-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(□वेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या-748(1)/52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□, □□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

4-कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिक ,
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□
5-रजिस्ट्रा , □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद 704 □□□□□ □□□, □□□□□
6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ □□□□□-1

आज्ञा सं ,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in